वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नामः District, Block, HSC, Village Health Action Plan for NRHM
बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक–2 के आधार पर): District Action Plans (Including Block, Village)
बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० को संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): Part B.7
कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकत्तम):

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच आमजन तक प्रभावी ढंग से हो पा रही है जिससे स्वास्थ्य सेवाएं में बहुयामी सुधार हुआ है। तथापि कई अवरोध भी दृष्टिगोचर हुए है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इस कारण जिला, प्रखंड, स्वास्थ्य उप केंद्र तथा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्य योजना का बनाना अति महत्वपूर्ण है।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा पिछले वर्ष जिला, प्रखंड स्वास्थ्य उप केंद्र स्तर एवं ग्रामीण स्तर पर कार्ययोजना का निर्माण शुरू किया गया था, जिसमें काफी सफलता मिली है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए चयनित (Based on District Ranking) 10 जिलों Nalanda, Jehanabad, Araria, Arwal, Saharsa, Purnea, Darbhanga, Rohtas, Sheikpura, Champaran (West) में 250 ग्रामीण स्वास्थ्य कार्य योजना 2012-13 के निर्माण का लक्ष्य रख गया था जिसे सफलता पूर्वक पुरा करा लिया गया है।इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2013–14 में सभी 38 जिलो में ग्रामीण स्तर से लेकर जिला स्तर तक की कार्ययोजना तैयार करने का प्रस्ताव है। जिलों में Planning कार्य हेतु नोडल अधिकारी ACMO होगें तथा प्रबंधन इकाई से DPC होगें।

समय सारणी :

यह कार्य माह सितंबर 2012 से शुरू कर माह दिसम्बर 2012 तक पूर्ण कर लिया जाना है, ताकि प्रखंड, स्वास्थ्य उप केंद्र तथा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्य योजना को जिला स्तर पर बनने वाले जिला स्वास्थ्य कार्य योजना में समेकित कर राज्य स्वास्थ्य कार्य योजना में ससमय समायोजित किया जा सके।

इकाई राशि (रू० लाख में) तथा वित्तीय दिशा निर्देशन :

- जिला स्वास्थ्य कार्य योजना तैयार करने के लिए रू0 20000/– प्रति जिला व्यय किया जाना है। इसके तहत् विभिन्न मदो में राशि का व्यय किया जाना निर्धारित है– जैसे वर्कशाप (कम से कम 2), मिटिंग, यात्रा भत्ता, भोजन, फोटोकॉपी, व अन्य Planning से संबंधित खर्च, जिला के आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है।
- प्रखंड स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने के लिए रू0 5000/– प्रति प्रखंड व्यय किया जाना है। इसके तहत् विभिन्न मदो में राशि का व्यय किया जाना निर्धारित है – जैसे- मिटिंग,फोटोकॉपी, अल्पाहार आदि।
- स्वास्थ्य उप केंद्र पर कार्ययोजना तैयार करने के लिए रू0 500/– प्रति HSC व्यय किया जाना है।
- District Planning Coordinator को Mobile Recharge हेतु कुल रू0 300/- प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है।
- District Planning Coordinator को Office contingency हेतु कुल रू0 1500/- प्रतिमाह का प्रावधन किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए Village Health Action Plan बनानें की प्रक्रिया राज्य के सभी जिलों में आरम्भ की जानी है।प्रत्येक जिला को, 2 प्रखण्डों का चयन कर, प्रत्येक प्रखण्ड से 5 VHAP का निर्माण किया जाना है।प्रत्येक जिला के द्वारा 10 VHAP का निर्माण करना अनिवार्य है। इस कार्य हेतू प्रति जिला 10000/- का प्रावधान किया गया है (@ Rs.1000/- Per VHAP)।इस गतिविधि हेतु आशा का सहयोग लेना अनिवार्य है, तथा इनके द्वारा प्रदत सेवा के एवज में कुल 144 रू0 प्रतिदिन की दर से

SKumar

अधिकतम 04 कार्य दिवस हेतु पारिश्रमिक का भुगतान देय है।शेष राशि का उपयोग फोटोकॉपी,स्पाइरल बाइंडिग आदि के लिए किया जा सकता है।

- इन कार्यो की जवाबदेही मुख्यत: DPC की होगी।DPC के नहीं रहने की स्थिती में इसकी जवाबदेही DPM की होगी।लेकिन Overall Responsibility, DPM की ही होगी।यह कार्य September 2011 से आरंभ होगी।

Planning के कार्य निम्न होगें:–

1. District Planning Coordinator का चयन की प्रक्रिया जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जायेगा, एवं चयनित अभयर्थी को जिला स्वास्थ्य समिति में पदस्थापन कर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को पत्र के माध्यम से सूचित करना।
2. जिला, प्रखंड, स्वास्थ्य उप केंद्र तथा ग्रामीण योजना समिति, का गठन करना ।प्रसांगिक पत्र संख्या – SHSB/SPM/98/10/20681 dt.22.10.10
3. कार्यशाला / मिटिंग जिसमें वर्ष 2013–14 के लिए योजना को प्रतिपादन एवं अन्तिम रूप से तैयार कर, राज्य को समर्पित करने की सर्म्पूण जिम्मेवारी DPC /DPM की होगी।
4. वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए त्रैमासिक बजट को कर्णाकिंत करना साथ ही साथ प्रखंड स्तर तक 2012–13 के लिए त्रैमासिक बजट को कर्णाकिंत कर इसकी अनुमोदित प्रतियां सभी प्रखंडो को ससमय उपलब्ध कराना।
5. वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए प्रखंड स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के लिए वार्षिक तथा त्रैमासिक बजट तैयार करने की सर्म्पूण जिम्मेवारी BHM/MOIC की होगी।
6. वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करने के उपरान्त fund Re-allocation (Non performing to performing Institutions) की प्रकिया पुरी कर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को पत्र के माध्यम से सूचित करना।यह कार्य October 2012 में करना है। प्रसांगिक पत्र संख्या – SHSB/SPM/107/2011/28442 dt.20.07.11
7. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्रेषित वित्तीय दिशा–निर्देश को वर्कशाप के माध्यम से सभी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आदि) को जानकारी देना।
8. वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए जिला स्वास्थ्य समिति के बेवसाईड पर जिला स्वास्थ्य कार्य योजना, प्रखंड स्वास्थ्य कार्य योजना तथा Fund Allocation को अपलोड कराने की सर्म्पूण जिम्मेवारी BHM/MOIC की होगी।जिसे वह DMEO के माध्यम से करेगे।
9. वित्तीय वर्ष 2013–14 NRHM का VHAPs HSC Plans, BHAPs, DHAP तैयार करना।
10. **इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र ० सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें):-** (a) SHSB/SPM/98/10/20681 dt.22.10.10
(b) SHSB/SPM/112/2011/30068 dt.12/9/2011
(c) SHSB/SPM/112/2011/30568/01.10.2011
(d) SHSB/SPM/112/2011/30068/12.09.2011

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम : राशि जयासवाल
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर : 9470003016

SKumar